(186)

(N.2)

(293)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प
रीवा म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक / 2012

R-3637-I/12

जयप्रसाद तनय वंशमणि प्रसाद वैश्य सा0 गोरबी तह0
चितरंगी जिला सिंगरौली म0प्र0 ------- आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 राज्य

---------- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश कले0 जिला
सिंगरौली दिनांक 09-10-12 बावत
प्रकरण क्र0 101 / निग0 /2011-12
अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन
1959ई0

संक्षेप मे तथ्य

ग्रामनौढिया तहसील चितरंगी की भूमि न0 581,593,718,737/2 कुलरकबा 1.01 हे0 पर सैकड़ों वर्षों से आवेदक मालिक है जिसपर आवेदक का पुस्तैनी माकान इदारा :कुआं: बाग बगीचा वपम्प व बिजली कने0 वाउण्ड्रीआदि निर्मित होने से आवेदक के हक मे जरिये प्रकरण क्र 45/अ-74/95-96 आदेश दिनांक 12.5.96 को आवेदक को भूमिस्वामी दर्ज किये जाने बावत आदेश सहायक बन्दोवस्त अधिकारी दल क्रमांक 4 चितरंगी द्वारा की गयी और आदेश के बाद अभिलेखों मे इत्तलायावी न होने के कारण पुन: नायब तहसीलदार चितरंगी द्वारा इत्तलायावी आदेश 20.1.03 पारित किया गया जिसके खिलाफ कलेक्टर सिंगरौली द्वारा स्वयमेव पुनरीक्षण

-2

XXXIX(a)-BR(H)-11

186

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–3637–I / 2012** जिला–सिंगरौली

जयप्रसाद वैश्य / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 101 / निग0 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा) सदस्य	